मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

एफ क्रमांक 6-2/80/3

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 1980

प्रति,

राज्य शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय:— आपराधिक मामलों में दोष सिद्ध पाये जाने पर शासकीय सेवकों के विरुद्ध कार्यवाही करने के संबंध में.

संदर्भ:— इस विभाग का दिनांक 15-9-1977 का ज्ञापन एफ क्र. 6-3/77/3/1.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966, के नियम 19(1) के अंतर्गत आनुशासनिक प्राधिकारी को यह अधिकार दिया गया हैं कि वह उपर्युक्त नियम के नियम 14 से नियम 18 तक में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जिस शासकीय सेवक को न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक प्रकरण में दंडित किया गया है, उसके मामले की परिस्थितियों पर विचार कर ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे. इस विभाग के उपर्युक्त ज्ञापन में यह निर्देश दिये गये हैं कि यदि किसी शासकीय सेवक को न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध में दोषी पाये जाने के कारण दण्डित किया गया है, जिससे उस शासकीय सेवक के नैतिक पतन होने का आभास होता हो, तथा उसे शासकीय सेवा में रखना लोक हित में उचित नहीं हो, तो आनुशासनिक प्राधिकारी उपर्युक्त नियम के नियम 19 (1) के अंतर्गत उस शासकीय सेवक पर उचित शास्ति अधिरोपित करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करें.

2. उपर्युक्त प्रकार के कुछ प्रकरणों में शास्ति अधिरोपित करने के संबंध में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि ऐसे मामले में किसी प्रकार की संक्षिप्त जांच किये बगैर ही संबंधित शासकीय सेवक को सीधे सेवा से पदच्युत करना वैध नहीं है. आशय यह है कि ऐसे आपराधिक मामले में किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर भी शासकीय सेवक के विरुद्ध संक्षिप्त जांच कर उसे इस बात का अवसर देना चाहिये कि उस पर जो शास्ति अधिरोपित करना प्रस्तावित है उसके संबंध में वह सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकें.

3. ''संक्षिप्त जांच'' से तात्पर्य यह है कि शासकीय सेवक को उसे अधिरोपित की जाने वाली शास्ति की सूचना दी जाय, उसे उस पर अपना उत्तर देने के लिए अवसर दिया जाय और यदि वह चाहे तो उसे सुना भी जाय, जिससे कि वह सक्षम प्राधिकारी को संतुष्ट कर सकें. इस प्रकार की कार्यप्रणाली पूरी करने के पश्चात् ही संबंधित कर्मचारी पर कोई शास्ति अधिरोपित करना न्यायसंगत होगा.

4. अत: आपसे निवेदन है कि आप अपने अधीन समस्त सक्षम प्राधिकारियों को उपर्युक्त स्थिति से अवगत करा दें, जिससे कि किसी शासकीय सेवक को आपराधिक आरोपों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर उसके विरुद्ध उपर्युक्त प्रकार संक्षिप्त जांच करने के उपरांत, मामले के गुण-दोष पर विचार कर उस शासकीय सेक्क पर उचित शास्ति अधिरोपित की जा सके. यहां पर यह भी बता देना आवश्यक है कि जिन मामलों में नियमानुसार लोक सेवा आयोग परामर्श करने की आवश्यकता होती है, उनमें उपर्युक्त प्रकार संक्षिप्त जांच पूरी करने के बाद लोक सेवा आयोग से परामर्श करके ही अंतिम आदेश पारित करना चाहिए.

हस्ता./-
(ए. के. भट्ट)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.